Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP-A
Grim-I

न्यायालय सहायक कलेक्टर, रानीवाड़ा, जिला–जालोर

प्रार्थी / प्रार्थीगण		अप्रार्थी / अप्रार्थीगण
श्री पहाड़सिंह S/o जयसिंह राजपूत नि॰ दईपुर तह-रानीवाड़ा	बनाम	श्री अर्जुनसिंह S/o जयसिंह चौरा राजपूत, नि॰ दईपुर तह॰ रानीवाड़ा

किस्म मुकदमा :- धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम 1955

राजस्व प्रार्थना सं. 27/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज़ इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27.10.2020	प्रार्थी —— ने अप्रार्थी उपरोक्त के विरूद्ध एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्कारी अधिनियत 1955 के प्रस्तुत किया। कार्यालय टिप्पणी का अवलोकन किया। अतः उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 23.12.2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा	
23-12-2020	पत्रावली आज पेश हुई। आज श्रीमान् पीठासन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 18-01-2021 को पेश हो। [signature]	
18-1-2021	पत्रावली आज पेश हुई। आज श्रीमान् पीठासन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 19-1-2021 को पेश हो। [signature]	
19.1.2021	पत्रावली आज पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त। कोई उपस्थित नहीं। न्यायहित में अवसर दिया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 10-2-2021 को पेश हो। [signature]	
10/2/2021	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण को [illegible] आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी सं. 1 से 20 व 22 से 24 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब आयन्दा दिनांक 3-3-2021 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में
3/3/2021		

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी सं. 21 की ओर से इनके प्रतिनिधि उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 21 की ओर से जवाब देना नहीं चाहते हैं अतः इनका जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली में प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थी वकील द्वारा विवादित आराजी मौजा दर्रीपुर के खसरा नम्बर 522, 523, 524, 216, 217, 218, 670, 671, 248, 642, 643, 645 की आराजी पर अप्रार्थी संख्या (1) से (20) बंटवारा किये बिना प्रार्थी के कब्जे की आराजी में प्रवेश नहीं करें व दखलंदाजी नहीं करें, न ही अन्य किसी से करावें। तथा किसी अनजान व्यक्ति को बेचान नहीं करें। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी के बंटवारे तक मौका व रेकर्ड की स्थिति को यथावत बनाए रखें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। हस्तगत प्रकरण के मूल वाद में प्राथमिक डिक्री का आदेश पारित हो चुका है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के मौके व रेकर्ड कि स्थिति में परिवर्तन होता है तो प्रार्थी प्रभावित होगा। अतः मौजा दर्रीपुर तहसील रानीवाड़ा के खाता संख्या 264 खसरा संख्या 522, 523, 524 रकबा क्रमशः 0.86, 0.16, 0.34 हेक्टेयर, खाता संख्या 205 खसरा नम्बर 216, 217, 218, 670, 671 रकबा क्रमशः 0.26, 0.24, 0.06, 0.01, 0.11 हेक्टेयर, खाता संख्या 261 खसरा नम्बर [illegible] 2, 643 रकबा क्रमशः 2.0[illegible] 2.37 [illegible] खसरा नम्बर 645 रकबा 3 [illegible] हेक्टेयर की आराजी [illegible] निषेधाज्ञा इस आशय की जारी कि जाती है कि उभय पक्षकारान उक्त विवादित आराजी की मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:56 IST
Reason: SelfAttested

(4)

सहायक कलेक्टर [illegible]

Scanned with CamScanner

मुकदमा नं. .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	व रेकर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखेंगे। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा व उप पेजीयक रानीवाड़ा को भेजी जावे। पक्षकारान अपना-अपना खर्ची वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner